

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री हरिसिंह

बनाम

विपक्षी : श्री मोखम सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 24/23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 01.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 6, 8 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से करा कर रसीद व डिलीवरी सर्टिफिकेट पेश किये गये। डिलीवरी सर्टिफिकेट से विपक्षी संख्या 6, 8 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 3, 6, 8 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3, 6, 8 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 12 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 12 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एकमात्र खातेदार कार्रकार हैं। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का विकास करना चाहता है तथा भूमि के चारों तरफ तारबंदी करवाना चाहता है जिसके लिये प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर विवाद न हो जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा अमरपुरा (जागीर) पटवार हल्का अमरपुरा (जागीर), तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 172 की आराजी न. 1082, 1083, 1085, 1086, 680, 728, 729, 734, 738, 764 कित्ता 10 रकबा 3.3400 है। भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/- एक हजार रुपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावे। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

